रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20112024-258789
CG-MH-E-20112024-258789

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 931] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2024/कार्तिक 29, 1946
No. 931] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2024/KARTIKA 29, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 20 नवम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/211.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में,-

I. विनियम 2 में, खंड (कक) में, मौजूदा उप-खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित नए उप-खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-

"(v) निर्गम (इश्यू) के प्रबंधन, बाय-बैक, असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग), या खुले प्रस्ताव (ओपन ऑफर) हेतु एस्क्रो संबंधी सेवाएँ प्रदान करना, जैसा बोर्ड द्वारा बनाए गए संबंधित विनियमों (रेग्यूलेशन) में जिक्र किया गया है;

(vi) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर)/बाद वाले सार्वजनिक प्रस्ताव (फर्दर पब्लिक ऑफर) से आए पैसों (प्रोसीड्स) को जमा करने के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना; और

(vii) ऐसे दूसरे कार्य करना, जो बोर्ड करने को कहे ।"

II. विनियम 3 में, -

(i) उप-विनियम (1) के रूप में निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(1) कोई भी व्यक्ति निर्गमन बैंककार (इश्यू के बैंकर/बैंकर टू एन इश्यू) के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा, जब तक कि वह इन विनियमों के अनुसार बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त न कर ले ।"

(ii) मौजूदा उप-विनियम (1क) और (2) में, चिह्न तथा अंक "(1)", जहाँ कहीं भी दिए हुए हों, उनके स्थान पर चिह्न तथा अंक "(2)" आ जाएँगे;

(iii) उसके बाद मौजूदा उप-विनियम (1), (1क) और (2) क्रमशः उप-विनियम (2), (3) और (4) बन जाएँगे ।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./700/2024-25]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994, फा. सं. सेबी/एलई/7/94, द्वारा 14 जुलाई 1994 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 तत्पश्चात्,-

(i) 28 नवम्बर, 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, सं. का.आ. 939(अ), द्वारा

(ii) 5 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1998, सं. का.आ. 15 (अ), द्वारा

(iii) 30 सितम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 1999, सं. का.आ. 800 (अ), द्वारा

(iv) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, सं. का.आ. 278 (अ), द्वारा

(v) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, सं. का.आ. 476(अ), द्वारा

(vi) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, सं. का.आ. 1045(अ), द्वारा

(vii) 1 अक्तूबर, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2003, सं. का.आ. 1159 (अ), द्वारा

(viii) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

(ix) 7 सितम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1449 (अ), द्वारा

(x) 26 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा

(xi) 13 अप्रैल, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा

(xii) 5 जुलाई, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2011, सं. एल.ए.डी.-ए.आर.ओ./जी.एन./2011-12/12/21225, द्वारा

(xiii) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

(xiv) 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा

(xv) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा

(xvi) 29 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/38, द्वारा

(xvii) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-ए.आर.ओ./जी.एन./2018/16, द्वारा

(xviii) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(xix) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा

(xx) 30 जुलाई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-ए.आर.ओ./जी.एन./2021/26, द्वारा

(xxi) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(xxii) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115, द्वारा

(xxiii) 16 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th November, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(BANKERS TO AN ISSUE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/211.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2024**.**
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, –

I. in regulation 2, in clause (aa), after the existing sub-clause (iv), the following new sub-clauses shall be inserted, namely,-

"(v) *providing escrow services for the purposes of issue management, buyback, delisting, or open offer, as required under the relevant regulations made by the Board;*

(vi) *opening of a separate bank account for depositing the proceeds in the initial public offer/ further public offer; and*

(vii) *such other activities as may be specified by the Board.*"

II. in regulation 3, -

(i) the following shall be inserted as sub-regulation (1), namely,-

"(1) No person shall act as a banker to an issue, unless a certificate of registration has been obtained from the Board under these regulations."

(ii) in the existing sub-regulations (1A) and (2), the symbols and numeral "(1)", wherever it appears, shall be substituted with the symbols and numeral "(2)";

(iii) thereafter the existing sub-regulations (1), (1A) and (2) shall be renumbered as sub-regulations (2), (3), and (4) respectively.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./700/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994 was published in the Official Gazette on July 14, 1994 vide F. No. SEBI/LE/7/94.
2. The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994 was amended on,-

(i) November 28, 1995 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide No. S.O. 939 (E);

(ii) January 5, 1998 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 15 (E);

(iii) September 30, 1999 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 800 (E);

(iv) March 28, 2000 by Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 278 (E);

(v) May 29, 2001 by Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide No. S.O. 476 (E);

(vi) September 27, 2002 by Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide No. S.O. 1045 (E);

(vii) October 1, 2003 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2003 vide No. S.O. 1159 (E);

(viii) March 10, 2004 by Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E);

(ix) September 7, 2006 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O No.1449 (E);

(x) May 26, 2008 by Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide No. LAD/NRO/GN/2008/11/126538;

(xi) April 13, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650;

(xii) July 5, 2011 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/12/21225;

(xiii) May 23, 2014 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089;

(xiv) December 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/023;

(xv) March 6, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) (Regulations) 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037;

(xvi) March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) (Regulations) 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38;

(xvii) May 30, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/16;

(xviii) April 17, 2020 by Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;

(xix) May 5, 2021 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) (Regulations) 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23;

(xx) July 30, 2021 by Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/26;

(xxi) August 3, 2021 by Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30;

(xxii) January 17, 2023 by Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115;

(xxiii) August 16, 2023 by Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2024.11.20 22:27:41 +05'30'